।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 1197 / 12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 16/09/ 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– **जनपद चमोली में बाजबगड़ से तेलान मोटर मार्ग के किमी0 09 का हल्का वाहन मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी0 10 से किमी0 12 तक नव निर्माण कार्य हेतु 2.012 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।**

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 580/FP/UK/Road/9581/2015 दिनांक 16.07.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को सम्बोधित है के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/250/2015/एफ0सी0/785, दिनांक 04.07.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्वान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्तो के अनुरूप शर्तो की अनुपालन आख्या/डिमाण्ड मांग पत्र इस कार्यालय की पत्र सं0 5863/12–1 दिनांक 27.06.2017 से प्रेषित की गई, परन्तु एन0पी0वी0 की धनराशि में संशोधन होने के कारण संशोधित डिमाण्ड मांग प्रेषित किया जा रहा है:–

1. शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.024 है0 सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 10,19,407.00(रू0 दस लाख उन्नीस हजार चार सौ सात) मात्र जमा की जानी है एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।
2. शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 17,00,140.00 (रू सत्रह लाख एक सौ चालीस) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 X 4)
1	2	3	4	5
V	0.4 (Dense forest)	8,45,000.00	2.012	17,00,140.00

3. शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।
6. राज्य सरकार online Part–I के column A–3(xvii) एवं C(iv) में corrected docmuments को upload करना सुनिश्चित करें।

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या निश्चित स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूर भाशा: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 250 / 2015 / एफ.सी. / 785

PA(वन)
28/09/16

दिनांक: 04 अगस्त 2016

सेवा में,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–चमोली में बांजबगड़ से तेलान मोटर मार्ग के किमी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु 2.012 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

सन्दर्भ : प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्र संख्या **1844/FP/UK/ROAD/9581/2015** दिनांक 30.12.2015 एवं ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/9581/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/9581/2015 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– चमोली में बांजबगड से तेलान मोटर मार्ग के किमी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु 2.012 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.024 है0 स्यारी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, **Online portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5. सडक के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. राज्य सरकार online Part-I के column A-3 (xvii) एवं C (iv) में corrected documents को upload करना सुनिश्चित करें।

P.T.O

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एव बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये।

राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तो के साथ** प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.024 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षो का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 181 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एव निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)

वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवषयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)

वन संरक्षक

सं0–3129 / 1047 Ah 3/16 / 2016

प्रतिलिपि सहायक अभि0 (धार) / अभि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/10/16

1/X/16 01/10/16